Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता सहित चार लोग 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई द्वारा आज मंगलवार को शाहपुरा, जयपुर में कार्यवाही करते हुये अजीत जांगिड़ अधिशाषी अभियन्ता, अशोक कुमार खंडीय लेखाधिकारी, संतोष वर्मा कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहपुरा, जिला जयपुर को उनके दलाल रामकरण ठेकेदार (प्राइवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी 10 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपोजिट रिलीज करने की एवज में 5 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से अजीत जांगिड़ अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा अपने कार्मिक अशोक कुमार खंडीय लेखाधिकारी, संतोष वर्मा कनिष्ठ सहायक व उनके दलाल रामकरण ठेकेदार (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा शाहपुरा, जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल रामकरण पुत्र श्री ग्यारसीलाल निवासी वार्ड नं. 3, शाहपुरा हाल ठेकेदार पीडब्ल्यूडी (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 30 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दलाल द्वारा रिश्वत राशि 1–अजीत जांगिड़ पुत्र श्री देवीलाल जांगिड़ निवासी फ्लैट नं0 377, टॉवर नंबर–20, रंगोली गार्डन, जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहपुरा, जिला जयपुर 2–अशोक कुमार पुत्र श्री हरिपाल वर्मा निवासी वार्ड नं. 8, मधुकर कॉलोनी, संतोष क्लिनिक के सामने, कोटपूतली जयपुर हाल खंडीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहपुरा, जिला जयपुर 3–संतोष वर्मा पुत्र श्री कजोड़मल निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहपुरा, जिला जयपुर को उनके हिस्से के हिसाब से बाँट दी गई जिससे उन्हें भी प्रकरण में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।